न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 09/2020

अनवान :–

1. जयचन्द पुत्र गणपत जाति जाट साकिन जमाल तहहसील व जिला सिरसा
– प्रार्थी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. बेलीराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. पार्वती पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. किस्तुरी पत्नी चानणराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पत्नी सुरतसिह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
9. रामचन्द्र पुत्र रामकिशन जाति छिम्पा निवासी जनानिया तहसील नोहर।
10. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
12. विवेक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
13. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शखा फेफाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 09/07/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 42/87 के प0न0 373/385(23) किला न0 9 ,12 ,18/0.759हैक , 19/1 की 0.126हैक , 22/2 की 0.127हैक , 23/0.2530 , प0न0 376/385(26) किला न0 3/0.228 ,4/0.228 मु0न0 98/39 किला न0 0.0500हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.771हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

रांही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 137/134 की कुल 9.1390हैक भूमि जिसमें गैरसायल न0 1 का 56–1/2 हिस्सा , गैरसायल न0 2 का 132–1/2 हिस्सा गैरसायल न0 3 का 8–1/2 हिस्सा गैरसायल न0 4 का 361–1/2 हिस्सा , गैरसायल न0 5 का 40 हिस्सा गैरसयल न0 6 का 50 हिस्सा गैरसायल न0 7 ,8 का 24 हिस्सा गैरसायल न0 9 का 50 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है । व चक 4 बारानी के खाता संख्या 45/33–48 के कुल 5.3120हैक भूमि में से प0न0 373/385(23) किला न0 7/0.2530 ,8/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530हैक भूमि गैरसायल न0. 10 ता 12 के नाम से दर्ज है।

सायल अपने खेत खाता संख्या 42/87 के प0न0 373/385(23) के किला न0 18 में पहुचने के लिये ग्रम जनानिया की आबादी के स्वीकृतशुद्दा रास्ता से चलकर गैरसायल न0 1 ता 9 की कृषि भूमि रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373/385(23) के किला न0 16 मिन उत्तर 0.0126हैक पूर्व से पश्चिम चल कर गैरसायल न0 10 ता 12 के प0न0 373/385(23) किला न0 17 मिन उत्तर में 0.0126हैक भूमि में से पूर्व से पश्चिम चलकर अपनी भूमि में पहुच जाता है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचनें के लिय उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सुविधाजनक एंव नजदीकी है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373/385(23) के किला न0 16 मिन उत्तर में 0.0.126है पूर्व से पश्चिम व प0न0 373/385(23) किला न0 17 मिन उत्तर में 0.0126हैक्ट पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब करने के उपरान्त भी गैरसायलान न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की गई शामिल मिसल की जाकर बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायलान दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपने खेत खाता संख्या 42/87 के प0न0 373/385(23) के किला न0 18 में पहुचने के लिये ग्राम जनानिया की आबादी के स्वीकृतशुद्वा रास्ता से चलकर गैरसायल न0 1 ता 9 की कृषि भूमि रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373/385(23) के किला न0 16 मिन उत्तर 0.0126हैक्ट पूर्व से पश्चिम चल कर गैरसायल न0 10 ता 12 के प0न0 373/385(23) किला न0 17 मिन उत्तर में 0.0126हैक्ट भूमि में से पूर्व से पश्चिम चलकर अपनी भूमि में पहुच जाता है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचनें के लिय उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सुविधाजनक एंव नजदीकी है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए दिया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल के कथनानुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373/385 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु इस रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है जो दिया जाना उचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तथा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता न्यायोचित प्रतित होता है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373/385(23) के किला न0 16 मिन उत्तर में 0.0.126है पूर्व से पश्चिम व प0न0 373/385(23) किला न0 17 मिन उत्तर में 0.0126हैक्ट पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायल को उसकी खातेदारी भूमि के चितते हुए किला न0 18 ,23 में देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक 09/07/2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 09 सन 2020 निर्णय दिनांक 09/07/2021

अनवान :–

1. जयचन्द पुत्र गणपत जाति जाट साकिन जमाल तहहसील व जिला सिरसा – प्रार्थी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. बेलीराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. पार्वती पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. किस्तुरी पत्नी चानणराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पत्नी सुरतसिह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
9. रामचन्द्र पुत्र रामकिशन जाति छिम्पा निवासी जनानिया तहसील नोहर।
10. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
12. विवेक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
13. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शखा फेफाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के प0न0 373 / 385(23) के किला न0 16 मिन उत्तर में 0.0.126है पूर्व से पश्चिम व प0न0 373 / 385(23) किला न0 17 मिन उत्तर में 0.0126हैव पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायल को उसकी खातेदारी भूमि के चितते हुए किला न0 18 ,23 में देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर